प्लास्टिक का कूड़ा बना पर्यावरण के लिए मुसीबत

डॉ. विनोद गुप्ता

प्लास्टिक का अंधाधुंध इस्तेमाल हमारी नदियों, तालाबों को बर्बाद कर रहा है। यह अगली पीढ़ी के लिए भी ज्यादा खतरनाक है। यह हमारे संसाधनों को नष्ट कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी मई 2012 में की थी। आंध्रप्रदेश के एक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में तब याचिका लगाई थी जब मरी हुई गायों के पेट से साठ किलो प्लास्टिक निकला था। कोर्ट ने विषय को व्यापक मानते हुए कई याचिकाओं को एक जगह लाने को कहा था।

प्लास्टिक हमारी जिंदगी में इस कदर रच-बस गया है कि हमारी दिनचर्या प्लास्टिक से शुरू होकर प्लास्टिक पर ही खत्म हो रही है। इसने भले ही हमारी जिंदगी को सुविधाजनक और आसान बना दिया हो, लेकिन यह पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा बनकर उभरा है। प्लास्टिक एक ऐसी चीज है जिसके विविध उपयोग हैं। औद्योगिक तथा उपभोक्ता दोनों क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल किसी न किसी रूप में किया जाता है। पैकिंग उद्योग में इसका उपयोग सर्वाधिक होता है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं, जो इससे अछूता हो।

प्लास्टिक का आविष्कार सन् 1862 में इंग्लैंड के अलेक्जैंडर पार्केस ने किया था। तब प्लास्टिक का नाम पार्केजाइन था जो कि नाइट्रोसेल्यूलोस से बनाया गया था। तेल और कपूर मिलाकर उसे मुलायम बनाया गया था। वैसे 'प्लास्टिक' शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के 'लास्टिकोज' शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है बनाना। जहां तक व्यावसायिक पैमाने पर प्लास्टिक की बात है, सन् 1910 में लियो हेन्ड्रिक बैकलैंड ने फीनाल तथा फार्मल्डिहाइड से इसे बनाया था। इसके बाद तो प्लास्टिक की दुनिया में एक ऐसी क्रांति आयी जिसमें ऐसे अनके पदार्थ ढूंढ लिए गए, जिनसे तरह-तरह के प्लास्टिक बनाए जाने लगे। आज प्लास्टिक के कई प्रकार हैं। पारदर्शी से लेकर लगभग सभी रंगों में इसका निर्माण होने लगा है। अब तो वैज्ञानिकों ने ऊष्मा अवरोधक प्लास्टिक का भी निर्माण कर लिया है।

प्लास्टिक एक कार्बनिक पदार्थ है, जिसको बहिष्करण के पश्चात सांचे में ढालकर या फिर कताई के पश्चात किसी भी रूप में बदला जा सकता है। ये अणु प्राकृतिक, जैसे सेल्युलोज, मोम तथा प्राकृतिक रबर स्वभाव के होते हैं अथवा संश्लेषित जैसे-पॉलीथिन व नाइलोन होते हैं। प्रारंभिक पदार्थ रेजिन हैं जो कि पेलेट, पाउडर या विलयन के रूप में पाया जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार, प्लास्टिक न तो नष्ट होता है और न सड़ता है। ऐसे में उसके निस्तारण की समस्या उत्पन्न हो जाती है।

दूध से लेकर दवा की बोतल तक, हमारे जीवन में हर जगह प्लास्टिक है। हम अंधाधुंध प्लास्टिक का इस्तेमाल करते जा रहे हैं। हर साल दुनिया में पांच सौ अरब प्लास्टिक बैग इस्तेमाल किए जाते हैं। इतने ज्यादा कि हर मिनट में दस लाख से ज्यादा बैग इस्तेमाल कर फेंक भी दिए जाते हैं। प्लास्टिक हमें सुविधा तो दे रहा है, लेकिन भीषण संकट की शर्त पर। प्लास्टिक से प्रदूषण फैलाने में भारत दुनिया के 20 शीर्ष देशों में एक है। 88 लाख टन प्लास्टिक जो समुद्र में हर साल फेंका जाता है, उसका एक बड़ा हिस्सा भारत से जाता है।

क्या आप जानते हैं कि प्रत्येक परिवार साल में करीब तीन से चार किलो प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल करता है। देश में रोजाना करीब 15000 टन प्लास्टिक कचरा निकलता है। जिनमें से केवल 9000 टन को ही एकत्र ओर प्रोसेस

किया जाता है, बाकी 6000 टन कचरा बिखरा पड़ा है। यही प्लास्टिक कूड़े के रूप में पर्यावरण के लिए मुसीबत बनता है।

कई उद्योग पॉलीबैग के स्थान पर अपने उत्पादों के लिए प्लास्टिक के पाउच का इस्तेमाल करने लगे हैं । इससे समस्या और गंभीर होती जा रही है। बच्चों और बड़ों के लगभग सभी उत्पाद प्लास्टिक पाउच की पैकिंग में उपलब्ध हैं। देखा जाए तो बच्चों के लिए खाद्य उत्पाद बनाने वाली कंपनियां प्लास्टिक पाउच का सबसे अधिक इस्तेमाल कर रही हैं। नालियों के जाम का प्रमुख कारण पॉलीथिन पाउच ही हैं। यह जानवरों के लिए भी घातक और जानलेवा है।

प्लास्टिक का अंधाधुंध इस्तेमाल हमारी नदियों, तालाबों को बर्बाद कर रहा है। यह अगली पीढ़ी के लिए भी ज्यादा खतरनाक है। यह हमारे संसाधनों को नष्ट कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी मई 2012 में की थी। आंध्रप्रदेश के एक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में तब याचिका लगाई थी जब मरी हुई गायों के पेट से साठ किलो प्लास्टिक निकला था। कोर्ट ने विषय को व्यापक मानते हुए कई याचिकाओं को एक जगह लाने को कहा था।

सबसे सस्ता और सबसे सुविधाजनक माने जाने वाला प्लास्टिक दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बनकर उभर चुका है। दुनिया में हर साल 88 लाख टन प्लास्टिक कचरा समुद्र में पहुंच रहा है। इसी वजह से एक लाख से ज्यादा समुद्री जीव हर साल दम तोड़ रहे हैं। प्लास्टिक कितना बड़ा खतरा है, यह इसी से समझा जा सकता है कि दुनिया में आज तक जितना प्लास्टिक बना है, वो किसी न किसी रूप में मौजूद है। प्लास्टिक खत्म होने में हजार सालों का समय लेता है। यह स्थिति इसलिए भी डराती है क्योंकि दुनिया में हर साल 300 मिलियन टन प्लास्टिक का उत्पादन किया जा रहा है। सिर्फ समुद्र में पड़े प्लास्टिक कचरे को ही साफ करने की बात करें तो जिस रफ्तार से यह काम अभी चल रहा है, उससे इसे पूरा होने में करीब 80 हजार साल लगेंगे।

प्लास्टिक नष्ट नहीं होता। 50 माइक्रोन से पतला प्लास्टिक सूखकर टूट जाता है। धरती में मिल जाता है जिससे भूगर्भ जल विषैला हो जाता है। प्लास्टिक की वजह से 1200 से ज्यादा समुद्री जीवों की प्रजातियां खतरे में हैं। मुंबई, अंडमान निकोबार और केरल में सबसे प्रदूषित तट हैं। प्लास्टिक कचरे के लिए देश में समुचित व्यवस्था नहीं है। इसे लैंडफिल साइट्स में दबा दिया जाता है। जलाया भी जाता है। ऐसे में हवा जहरीली हो जाती है। एक खरब प्लास्टिक बैग्स दुनिया में हर साल तैयार किए जाते हैं। एक हजार साल लगते हैं एक प्लास्टिक बैग को पूरी तरह से नष्ट होने में। 35 लाख टन प्लास्टिक की थैलियां हम हर साल फैंक देते हैं। एक लाख समुद्रीय जीव प्लास्टिक बैग के प्रदूषण के कारण हर साल मारे जाते हैं। 4.3

प्लास्टिक के कचरे को लैंडफिल साइट्स में दबा दिया जाता है

बिलियन गैलन क्रूड ऑयल हर साल प्लास्टिक बैग बनाने में इस्तेमाल हो जाता है। 46 हजार प्लास्टिक बैग समुद्र में हर एक वर्ग मील के दायरे में पाए जाते हैं।

प्लास्टिक हमें बीमार भी बना रहा है। अकेला अमेरिका प्लास्टिक से होने वाली बीमारियों पर हर साल 340 अरब डॉलर खर्च कर रहा है। अब यह सर्वविदित हो चुका है कि प्लास्टिक इंसानी सेहत को किस कदर नुकसान पहुंचा रहा है। प्लास्टिक के निर्माण के समय इस्तेमाल होने वाले मोनोमर से कैंसर रोग हो सकता है। इसी प्रकार, नाइलोन के संश्लेषण के लिए बैंजीन कच्चे माल के लिए प्रयुक्त होती है जो कि कैंसर रोग उत्पन्न कर सकते हैं। संश्लेषित प्लास्टिक अविघटनीय है, अतः इसका निस्तारण पर्यावरण के लिए बहुत गंभीर समस्या बन गई है। प्लास्टिक के कचरे को जलाने से ऐसी गैसें निकलती हैं जो फेफड़े के कैंसर का कारण बनती है।

2016 में केन्द्र सरकार पुराने प्लास्टिक वेस्ट कानून को खत्म कर नए नियम लाई। प्लास्टिक की मोटाई 40 से बढ़ाकर 50 माइक्रोन कर दी गई। प्लास्टिक निर्माताओं पर जिम्मेदारी डाली गई कि वो मार्केट से प्लास्टिक वापस लेने का सिस्टम डेवलप करेंगे। पंजाब, मध्यप्रदेश, जम्मू-कश्मीर, दिल्ली, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, गोवा और पश्चिम बंगाल ने भी बाद में प्लास्टिक थैलियों पर रोक लगा दी। फिलहाल प्लास्टिक का कचरा सबसे ज्यादा महाराष्ट्र (469098 टन), गुजरात (260295 टन) और तमिलनाडु (150323 टन) में पैदा हो रहा है। दिल्ली में सिंगल यूज वाला प्लास्टिक का हर सामान बैन किया जा चुका है, सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली प्लास्टिक कटलरी सहित।

मध्यप्रदेश में पॉलीथीन कैरी बैग पर कानूनी प्रतिबंध लगा दिया गया है और इसके लिए बाकायदा अधिसूचना जारी की गई है। गौरतलब है कि 23 दिसम्बर 2014 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में वरिष्ठ सचिव समिति ने पॉलीथीन बैग पर प्रतिबंध लगाने के लिए मध्यप्रदेश जैव अनाश्यक अपशिष्ट (नियंत्रण) अधिनियम 2001 को संशोधित करने का फैसला किया था। इसमें यह भी तय किया गया कि प्रतिबंध के दायरे में सभी तरह के पॉलीथिन बैग आएंगे, चाहे वे किसी भी माइक्रोन की मोटाई के क्यों न हो। 2 जुलाई 2015 से संस्कृति और पर्यटक शहरों में पॉलीथिन बैग प्रतिबंधित है। 24 मई 2017 में विधि एवं विधाई विभाग ने जैव अपशिष्ट अनाश्यक (नियंत्रण) अधिनियम में संशोधन के अध्यादेश का गजट नोटिफिकेशन कर दिया है। इसके साथ ही मध्यप्रदेश में पॉलीथिन कैरी बैग पर कानूनन प्रतिबंध लग गया है। इसके तहत प्रदेश में वस्तुओं को ले जाने वाली किसी भी प्लास्टिक सामग्री से बनाई गई थैलियों पर प्रतिबंध लगाया गया है। हालांकि इसमें वे पॉलीथिन कैरी बैग शामिल नहीं होंगे, जो पैकेजिंग के आवश्यक भाग के रूप में शामिल हैं और उसमें माल को सीलबंद किया जाता है। लेकिन इन थैलियों को दोबारा या रीसाइकल कर उपयोग करने पर प्रतिबंध रहेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 1 के तहत उल्लंघन करने पर नगरीय निकाय दोषी व्यक्ति व संस्था के खिलाफ एक माह का कारावास, एक हजार रूपए का जुर्माना या फिर दोनों से दंडित कर सकता है। इसलिए यदि आप मध्यप्रदेश के किसी भी स्थान के बाजार में सामान लेने जाएं तो साथ में कपड़े का कैरी बैग अवश्य लेकर जाएं क्योंकि दुकानों पर आपको पॉलीथिन कैरी बैग नहीं मिलेंगे।

किसी शहर या राज्य विशेष में प्लास्टिक के पाउच और थैलों पर प्रतिबंध लागू है लेकिन पूरे देश में ऐसा नहीं है। इसके लिए कुछ मापदण्ड तय किए गए हैं। कुछ राज्यों ने प्लास्टिक के दुष्प्रभावों को देखते हुए अपने यहां पॉलीथिन के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है।

केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने नए प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2016 लागू किए हैं। ये नियम गांवों और कस्बों में भी लागू होंगे। इसके पूर्व ये नियम केवल कस्बों में ही लागू थे लेकिन अब सभी गांवों और पंचायतों पर भी लागू होंगे।

अब अधिकृत दुकानें और स्ट्रीट वेंडर ही प्लास्टिक बैग दे पाएंगे। बैग की न्यूनतम मोटाई पूर्व के 40 की जगह अब 50 माइक्रोन होगी। 50 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक कैरी बैग प्रतिबंधित रहेंगे।

अब किसी भी शादी समारोह या कार्यक्रम के बाद बिखरे कूड़े को साफ करने की जिम्मेदारी आयोजक की होगी। इसकी निगरानी ग्राम पंचायत करेगी। अगर कचरा नहीं हटाया जाता है तो भारी जुर्माना लगाया जाएगा। कूड़ा फैलाने वाले की जिम्मेदारी भी पहली बार तय की गई है। व्यक्तिगत तौर पर कार्यालयों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों व उद्योगों को प्लास्टिक कूडे को अलग करना होगा, स्थानीय निकायों के हवाले करना होगा तथा उनके नियमों के मुताबिक शुल्क देना होगा।

नए नियमों के अनुसार, केवल पंजीकृत दुकानदारों के पास ही प्लास्टिक की थैलियां उपलब्ध रहेंगी। उन्हें भी बताना होगा कि इसके लिए वे पैसा ले रहे हैं। दुकानदारों को स्थानीय निकायों को पंजीकरण शुल्क देना होगा। इसका इस्तेमाल कचरा निपटान में होगा। दो साल में इसका उत्पादन पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा।

प्लास्टिक की रिसाइकिलंग की सुविधा बहुत कम है। इसलिए अब दोबारा इस्तेमाल योग्य नहीं बनाए जा सकने वाले थर्मोस्टेट प्लास्टिक के लिए गाइड लाइन बनाने का काम केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दिया गया है। जब तक पैकेजिंग में प्लास्टिक का कारगर विकल्प नहीं मिल जाता, इसके कचरे की समस्या बनी रहेगी। प्लास्टिक का सर्वाधिक उपयोग खाद्य सामग्रियों के पैकिंग में होता है। लोग सामग्री का इस्तेमाल कर पैकिंग को सड़कों पर फैला देते हैं। माना कि प्लास्टिक पैक में खाद्य सामग्री नमी से बची रहती है तथा वायु के सम्पर्क में नहीं आने से वह सुरक्षित भी रहती है, यही कारण है कि इसकी लोकप्रियता बढ़ती गई है।

बोतलबंद पानी सेहत की दृष्टि से भले ही सुरक्षित हो, लेकिन उनकी प्लास्टिक की खाली बोतलें कूड़ेदान की शोभा बढ़ाती हैं। बोतल खुल जाने के बाद उसका बार-बार इस्तेमाल पानी भरने के लिए नहीं किया जा सकता। इसलिए लोग एक बार इस्तेमाल करने के बाद सड़कों पर फेंक देते हैं। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर बोतलबंद पानी खूब बिकता है। जितनी अधिक उसकी बिक्री होती है, उतना ही बोतलों का कचरा निकलता है। अकेले भारत में बोतलबंद पानी का बाजार अगले साल तक 160 अरब रूपए का हो जाएगा। 2020 तक पानी का ग्लोबल मार्केट 280 अरब डालर का हो जाएगा।

आजकल डिस्पोजेबल कप का प्रचलन बहुत अधिक है। सार्वजनिक समारोह अथवा सामाजिक स्थानों पर चाय-कॉफी सर्व करने में प्लास्टिक के कप और ग्लास का इस्तेमाल किया जाता है। इसी प्रकार, वैवाहिक समारोह या अन्य बड़े आयोजन में प्लास्टिक के डिस्पोजेबल ग्लास आदि रखे जाते हैं। लोग खा-पीकर उन्हें फेंक देते हैं। जितना बड़ा आयोजन उतना ही अधिक प्लास्टिक का कचरा फैलता है।

प्लास्टिक के डिब्बों का भी पैकिंग में इस्तेमाल होता है। मिठाई, बेकरी की आइटम्स आदि की पैकिंग प्लास्टिक के बक्से या डिब्बों में की जाती है। ये इतने घटिया प्लास्टिक के होते हैं कि उन्हें फेंकना ही पड़ता है। आइसक्रीम की पैकिंग में भी प्लास्टिक के कप का इस्तेमाल किया जाता है। लोग आइसक्रीम खाकर उसके कप को सड़कों पर फेंक देते हैं जो हवा में उड़कर इधर-उधर जाकर कचरा फैलाते हैं।

अब से कुछ दशक पहले तक जब लोग खरीददारी करने जाते थे तो अपने साथ कपड़े का एक थैला या झोला साथ ले जाते थे। सब्जियां, फल आदि भी कपड़े के झोले में रखकर लाते थे लेकिन आज कितने लोग अपने साथ कपड़े का झोला

जितना बड़ा आयोजन उतना ही अधिक प्लास्टिक का कचरा

रखते हैं? इसे रखना पिछड़ेपन की निशानी या अपनी शान के खिलाफ माना जाता है। यही कारण है कि सब्जी और फल विक्रेता भी प्लास्टिक की थैलियों में रखकर ग्राहक को देते हैं। किराने का सामान भी प्लास्टिक की थैलियों में तैयार रहता है। वजन के हिसाब से सामग्री प्लास्टिक की थैली या पाउच में पैक मिलती है। ग्राहक घर आकर प्लास्टिक की थैलियां फेंक देता है। जरा सोचिए, देश में रोजाना कितने लोग फल, सब्जी, किराना या अन्य जरूरत का सामान खरीदते हैं। ये सभी थैलियों को फैंकते हैं, इससे कितनी बड़ी मात्रा में प्लास्टिक का कचरा होता है?

दूध प्रत्येक घर-परिवार की आवश्यकता है। बड़ी कंपनियां या डेरियां प्लास्टिक पैकिंग में इन्हें विक्रय करती हैं। उपभोक्ता दूध का इस्तेमाल कर इन पाऊचों को सड़कों पर फैंक देता है।

कागज की पैकिंग की तुलना में प्लास्टिक की पैकिंग दुकानदार के लिए तो सुविधाजनक है ही, ग्राहक भी इसे पसंद करने लगे हैं। यही कारण है कि प्लास्टिक की थैलियों में सामान पैक कर देने का चलन बढ़ा और बढ़ा इससे उपजा कचरा।

सर्जरी में भी प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है। बड़े अस्पतालों में जहां रोजाना अनेक ऑपरेशन होते हैं, वहां बड़े स्तर पर यह कचरा निकलता है जिसका निपटान एक समस्या बन जाता है। यदि चिकित्सकीय अपशिष्ट की बात करें तो देशभर के अस्पतालों से निकलने वाला यह कचरा हजारों टन होता है।

अस्पतालों में डॉक्टर, कंपाउंडर और नर्स सीरिंज ट्यूब और दस्ताने आदि का इस्तेमाल करते हैं। ये डिस्पोजेबल होते हैं। देश के हर छोटे-बड़े अस्पताल, नर्सिंग होम, पैथेलॉजिक लेबोरेटरी आदि से निकलने वाले प्लास्टिक कचरे को देखें तो इसकी मात्रा चौंकाने वाली हो सकती है।

खिलौनों के बगैर अछूता है बचपन। आज बाजार में प्लास्टिक के खिलौनों की भरमार है। चाइना के सस्ते खिलौने खूब बिक रहे हैं। लेकिन जब ये खिलौने बदरंग हो जाते हैं या खराब हो जाते हैं, तो इन्हें कचरा पेटी में डाल दिया जाता है।

प्लास्टिक की रिसाइकिलंग की सुविधा बहुत कम है। इसलिए अब दोबारा इस्तेमाल योग्य नहीं बनाए जा सकने वाले थर्मोस्टेट प्लास्टिक के लिए गाइड लाइन बनाने का काम केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दिया गया है। जब तक पैकेजिंग में प्लास्टिक का कारगर विकल्प नहीं मिल जाता, इसके कचरे की समस्या बनी रहेगी। प्लास्टिक का सर्वाधिक उपयोग खाद्य सामग्रियों के पैकिंग में होता है। लोग सामग्री का इस्तेमाल कर पैकिंग को सड़कों पर फैला देते हैं। माना कि प्लास्टिक पैक में खाद्य सामग्री नमी से बची रहती है तथा वायु के सम्पर्क में नहीं आने से वह सुरक्षित भी रहती है, यही कारण है कि इनकी लोकप्रियता बढ़ती गई है।

प्लास्टिक के खिलौनों का कचरा भी पर्यावरण के लिए खतरा उत्पन्न कर रहा है

प्लास्टिक के खिलौनों का कचरा भी पर्यावरण के लिए खतरा उत्पन्न कर रहा है।

अब से कुछ दशक पहले तक माताएं अपने शिशुओं को कपड़े के नैपकिन या पोतड़े पहनाती थीं जिन्हें धोकर वे बार-बार इस्तेमाल करती थी। लेकिन आज आधुनिक, पढ़ी-लिखी और नौकरीपेशा महिलाएं डायपर पहनाती हैं। ये डायपर शिशु के मल-मूत्र का गीलापन भले ही सोख लेते हों लेकिन इनका मटेरियल पर्यावरण के लिए खतरा बनता जा रहा है।

फास्ट फूड बच्चों में ही नहीं, बड़ों में भी लोकप्रिय है। बड़ी-बड़ी या प्रसिद्ध कंपनियों के ब्रांडेड फास्ट फूड प्लास्टिक पैकिंग में हर जगह मिलते हैं। लोग खाकर पैकिंग को भी कूड़ेदान में डाल देते हैं। हर दिन देश में बड़ी मात्रा में इससे उपजा कचरा बढ़ता है।

प्रत्येक घर में प्लास्टिक का टूटा-फूटा या बेकार सामान निकलता है। आमतौर पर लोग दीपावली पर इसे अटालेवाले या कबाड़ी को बेच देते हैं। ये सामान कुछ भी हो सकता है, जैसे प्लास्टिक की टूटी बाल्टी, जग आदि। कुछ लोग इसे सड़कों पर फेंक देते हैं।

जहां प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा किया जाता है वहां हानिकारक गैसे निकलती हैं जो वातावरण को प्रदूषित करती हैं। गर्मियों में तो इनका प्रकोप बढ़ जाता है।

सड़कों पर या कूड़ेदानों में फेंका गया प्लास्टिक का कचरा तो सफाईकर्मी अथवा कचरा बिनने वाले लोग उठाकर ले जाते हैं, लेकिन लोग नदी, तालाब, झील आदि में भी सैर सपाटे के दौरान खाद्यान्न सामग्रियों के पैकिंग वहां बहा देते हैं जिससे न केवल जल प्रदूषण होता है अपितु कचरा सड़ता रहता है। यकीन न आता हो तो कश्मीर की डल झील को देखें जिसे प्रदूषित करने में सैलानियों का बड़ा हाथ है।

पॉलीबैग का विकल्प उपलब्ध है। जूट के बैग, कपड़ा मिलों द्वारा निकलने वाले कटपीस से बने थैले, कागज के लिफाफे, एल्युमीनियम पेपर और पेपर बाक्स का उपयोग करके पॉलीथिन के इस्तेमाल को रोका जा सकता है। कुछ चीजों की पैकेजिंग के लिए एल्युमीनियम पेपर, एल्युमीनियम बॉक्स और मक्का से तैयार प्राकृतिक प्लास्टिक के पॉलीथिन भी जल्द ही बाजार में आने वाले हैं।

पर्यावरण संरक्षण अकेले सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। सरकार तो केवल कानून बना सकती है। उसका अमल तो नागरिकों को ही करना होता है। यह तभी संभव है जबकि हम पर्यावरण के प्रति जागरूक हों। हमें यह समझना होगा कि वाकई प्लास्टिक पर्यावरण का दुश्मन है और उसके लिए सबसे बड़ा खतरा है। जिस प्रकार महात्मा गांधी ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने का अभियान चलाया था और जनता ने उसका साथ दिया था। उसी प्रकार, सरकार के 'प्रदूषण मुक्त भारत' के अभियान को सफल बनाने की जिम्मेदारी हम सभी की है। हमें स्वेच्छा से प्लास्टिक को त्यागना होगा और उसका विकल्प अपनाना होगा। प्लास्टिक के कचरे से इंसान ही नहीं, जानवर भी मुसीबत में है। पशु अपने भोजन के लालच में प्लास्टिक की थैलियों, डिस्पोजेबल आइटम्स आदि को भी खा जाते हैं जो उनकी मौत का कारण भी बनता है। अतः पशु प्रेमियों को भी इस दिशा में चिंतन करना चाहिए।

संपर्क करेः
डॉ. विनोद गुप्ता
43/2 सुदामा नगर रामटेकरी
मन्दसौर (म.प्र.)-458 001
मो. 9826042811,